मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना आरंभ

चर्चा में क्यों?

15 सतिंबर, 2022 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क वभिाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बाल देख-रेख संस्थाओं को छोड़ने वाले 18 वर्ष से अधकि आयु के बालक एवं बालकिाओं को आर्थकि एवं शैक्षणकि सहयोग (आफ्टरकेयर) देकर समाज में पुनर्स्थापति करने और 18 वर्ष की आयु तक के अनाथ बच्चों, जो अपने संबंधयिों अथवा संरक्षकों के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, को आर्थकि सहायता (स्पॉन्सरशपि) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना'आरंभ कर दी गई है।

प्रमुख बदि

- इस योजना के क्रयिान्वयन के लयि महलिा एवं बाल वकिास वभिाग को नोडल वभिाग बनाया गया है।
- आफ्टरकेयर के संदर्भ में बाल देखरेख संस्था में नरिमुक्त दिनिांक के वर्ष को सम्मलिति करते हुए नरिंतर 5 वर्ष तक नवािसरत बच्चे पात्र होंगे।
- आफ्टरकेयर में आर्थकि सहायता, इंटर्नशपि, व्यवसायकि प्रशक्षिण, शक्षिा के लयि नरि्धारति समयावधि अथवा 24 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक दी जाएगी।
- उद्योग वभिाग द्वारा ज़लिा बाल संरक्षण अधकिारी, महलिा एवं बाल वकिास वभिाग से प्राप्त सूची में उल्लेखति केयर लीवर्स की योग्यता के अनुसार औद्योगकि संस्थान/प्रतष्ठिान/प्रतष्ठिति संस्थाओं की पहचान कर इंटर्नशपि देकर उसी संस्था में यथासंभव रोज़गार उपलब्ध करवाया जाएगा।
- इंटर्नशपि अवधि के दौरान 5 हज़ार रुपए प्रतमिाह की आर्थकि सहायता दी जाएगी, जो इंटर्नशपि की अवधि समाप्त तिक या एक वर्ष, जो भी कम हो, तक देय होगी। यह सहायता कसिी भी दशा में एक वर्ष से अधकि की अवधि के लयि नहीं होगी।
- पॉलीटेक्नकि डप्लिोमा, आईटीआई, पैरामेडकिल पाठ्यक्रम, नर्सगि, होटल मैनेजमेंट, टूरज्मि, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री कौशल वकिास आदि में शासकीय संस्थाओं में दी जाने वाली व्यावसायकि प्रशक्षिण, संबंधति वभिाग के द्वारा नःिशुल्क दयि जाएंगे।
- व्यावसायकि प्रशक्षिण अवधि के दौरान 5 हज़ार रुपए प्रतमिाह की आर्थकि सहायता दी जाएगी, जो व्यावसायकि प्रशक्षिण की अवधि समाप्त तिक या दो वर्ष जो भी कम हो तक देय होगी। कन्तिु कसिी भी दशा में 2 वर्ष से अधकि की अवधि के लयि नहीं होगी।
- **NEET, JEE** या **CLAT** में प्रवेश परीक्षाओं के आधार पर कसिी शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं में प्रवेश करने वाले केयर लीवर्स को अध्ययन अवधि के दौरान 5 हज़ार रुपए की आर्थकि सहायता प्रतमिाह दी जाएगी एवं पाठ्यक्रम अवधि तिक फीस नयिामक आयोग द्वारा नरि्धारति फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी।
- केयर लीवर्स की श्रेणी का नरि्धारण एवं प्रत्येक श्रेणी में अध्ययन अवधि के दौरान दी जा रही आर्थकि सहायता का नरि्धारण मुख्य सचवि की अध्यक्षता में गठति राज्य स्तरीय समति द्वारा कयिा जाएगा।
- स्पॉन्सरशपि मध्य प्रदेश के स्थानीय नवािसी परवािर के 18 वर्ष से कम उम्र के उन बच्चों के लयि है, जनिके माता-पति की मृत्यु हो चुकी है और वह रशि्तेदार अथवा संरक्षक की देखरेख में रह रहे हों तथा जो 'मुख्यमंत्री कोवडि 19 बाल सेवा योजना'की पात्रता में नहीं आते हैं, ऐसे बच्चे योजना में पात्र होंगे।
- स्पॉन्सरशपि के तहत पात्र पाए गए प्रत्येक बच्चे को 4 हज़ार रुपए प्रतमिाह की सहायता न्यूनतम एक वर्ष के लयि दी जाएगी। यह राशि बिच्चे एवं रशि्तेदार अथवा संरक्षक के संयुक्त खाते में जमा की जाएगी।
- बालक अथवा परवािर की आर्थकि समृद्धता में सुधार न होने की स्थति मिें न्यूनतम एक वर्ष की अवधि में वृद्धि की जा सकेगी, कन्तिु कसिी भी स्थति मिें अधकितम 18 वर्ष की आयु के बाद राशि देय नहीं होगी। प्रत्येक बच्चे का आयुष्मान कार्ड भी स्वास्थ्य वभिाग द्वारा बनाया जाएगा।
- योजना के सभी आवेदन बाल आशीर्वाद पोर्टल **www.scps.mp.gov.in** पर प्राप्त कयि जा सकेंगे। आवेदन की प्रक्रयिा नःिशुल्क होगी। योजना का लाभ लेने के लयि ज़लिा कार्यक्रम अधकिारी एवं ज़लिा बाल संरक्षण अधकिारी (महलिा एवं बाल वकिास वभिाग) से संपर्क कयिा जा सकता है। समस्त लाभ पोर्टल से दयि जाएंगे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/chief-minister-bal-ashirwad-yojana